



हमारा दून

संक्षिप्त समाचार

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले आए सामने

संवाददाता देहरादून। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह है कि इस अंतराल में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक आज 60 नए मामले सामने आए, जबकि 46 लोग कोरोना से ठीक भी हुईं। वहीं, सुबे में अभी 672 एक्टिव केस हैं।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण

संवाददाता देहरादून। देर रात से चल रही भारी बारिश के कारण क्षेत्र में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बुधवार सुबह ही अधिकारियों संग मौके पर पहुंचे। इस दौरान विजय कॉलोनी वार्ड के बद्दीनाथ कालोनी में नदी किनारे जाल नहीं लगाने के कारण नदी का पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। इसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्देशित किया कि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। वहीं, बकरालवाला में डोभालवाला और बकरालवाला को जोड़ने वाले 16 मीटर लंबे पुल के ध्वस्त होने के कारण दोनों वार्डों में का संपर्क आपस में टूट गया, मंत्री ने लोनिवि के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और तत्काल पुल के दोनो ओर सुरक्षात्मक कार्य करने को लिए कहा है।

पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश

संवाददाता देहरादून। प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा पेयजल विभाग की विधानसभा कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए। पेयजल योजना से सम्बन्धित कार्य जल निगम, एडीबी, अमृत योजना की एजेन्सी द्वारा कार्य चलाने पर आपसी दोषारोपण से बचने के लिए बैठक बुला कर एक कार्यादायी एजेन्सी बनाने का निर्देश दिया।

सड़क निर्माण को विधायक निधि से 15 लाख देने की घोषणा

संवाददाता ऋषिकेश ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छिहरवाला में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने क्षेत्र में स्थित सड़क मार्गों के निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह ईमानदारी से ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य कर रहे हैं एवं अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए संकल्पित है। वहीं स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना।

सुको का आदेश आने तक उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर रोक बरकरार

आदेश

संवाददाता

देहरादून। हाइकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व चारधाम यात्रा शुरू करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी हॉस्पिटलों में खाली पड़े पदों पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं। कितने पद डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियन अन्य स्टाफ के खाली पड़े हैं। इनको भरने के सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है, कितने एम्बुलेंस जिला अस्पतालों में हैं कितने चालू हालात में हैं, उनका लाइसेंस है या नहीं कितने अन्य की जरूरत है।

कोर्ट ने राज्य में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को इसे व्यक्तिगत

■ कोर्ट ने वीकेंड पर पर्यटन स्थलों स्थलों में बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की



18 तक कोर्ट के सवालों के जवाब दें

कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि पर्यटन स्थलों की क्षमता के अनुसार जांच के उपरांत ही पर्यटकों को आने दिया जाय। नैनीताल में ही 75 प्रतिशत पर्यटक एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं, शेष 25 प्रतिशत समाजिक दूरी का। इसी की वजह से पिछले सप्ताह नैनीताल में 10 कोविड पॉजिटिव केस मिले। एक पर्यटक द्वारा महिला पुलिस के साथ मारपीट की गई सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की अभी तक कितने ऐसे लोगों के खिलाफ मुदकमा दर्ज किया, 18 तक कोर्ट को बताएं।

रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जितने भी वेक्सीनेशन सेंटर बनाये गए हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं विकलांग व अपाहिज लोगों को वेक्सीनेशन लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है। चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को कोर्ट ने आगे बढ़ाते हुए कहा

कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होता।

इंटरन डॉक्टरों के स्टाइफण्ड के मामले पर कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर इस दौरान मेंटली, फिजिकली एकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली परेशान हैं। सरकार उनके

स्टाइफण्ड बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि जो 300 सैम्पल डेल्टा वैरियंट के भेजे थे उनका क्या हुआ। अभी तक कोरोना से कितनी मौतें हुई हैं। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर 18 अगस्त तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले

विभिन्न जनहित याचिकाएं की गईं दायर

अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, सहित कई लोगों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, कोविड से लड़ने के वैक्सीनेशन लगाने हेतु विभिन्न जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।

की अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि नियत की है।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। बुधवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिवभद्र ने कोर्ट से कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उसमें अभी तक सुनवाई नहीं है, लिहाजा चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए। इस पर सरकार की सहमति पर चारधाम यात्रा पर रोक के आदेश को कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया है। जब तक एसएलपी में कोई आदेश पारित न हो जाता हो। स्वास्थ्य सचिव द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि प्रदेश में 95 ब्लॉक हैं अभी उनके पास 108 के 54 एम्बुलेंस हैं अभी उनको 41 और एम्बुलेंस की आवश्यकता है। जिसकी सिफारिश स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को भेज रखी है। कोर्ट ने वीकेंड पर पर्यटन स्थलों स्थलों में बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की।

पानी वाली जगहों पर जाने से बचें पर्यटक

अलर्ट

- मौसम विभाग ने जनपद दून में जारी किया ऑरेंज अलर्ट
- पानी वाले पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के एक सप्ताह के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से पानी वाली जगहों में जाने से बचने की अपील की है। साथ ही मानसून में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पानी

पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से की अपील

पर्यटकों से अपील है कि इन स्थानों पर जाने से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही नदी तट से उचित दूरी बनाने के साथ किसी भी स्थिति में पानी में न जाए। जिससे किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। पर्यटकों के साथ स्थानीय निवासियों से अपील है कि अगले एक सप्ताह तक इन स्थानों पर जाने से बचें।

वाले पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश को 30 जुलाई तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं, 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगस्त माह के शुरुआत के दिनों में भी प्रदेश के कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश का ऑरेंज

अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में तेज और लगातार हो रही बारिश से पानी वाले पर्यटन स्थलों का जलस्तर बढ़ रहा है। देहरादून जिला पर्यटन अधिकारी (डीटीओ) जसपाल सिंह चौहान बताया कि लगातार हो रही बारिश से सहस्त्रधारा, गुच्छूपानी, मालदेवता समेत सभी पानी की जगह वाले पर्यटन स्थलों में जलस्तर बढ़ने

से खतरा बना हुआ है।

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से पानी वाली जगहों का जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अलगे एक सप्ताह तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में पर्यटक किसी भी समस्या से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों के पर्यटन स्थलों के साथ पानी वाली जगहों पर जाने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य में आने वाले पर्यटक शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उचित दूरी, मास्क व सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें।

ब्लड कैंसर से पीड़ित अनु धामी के पति को सीएम ने दिया 5 लाख का चेक

संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में ब्लड कैंसर से पीड़ित श्रीमती अनु धामी के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 05 लाख रुपए का चेक उनके पति मदन धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती अनु धामी के ईलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को श्रीमती अनु धामी की बीमारी का पता चलते ही उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार को उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने श्रीमती अनु धामी के ईलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत की। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रो. रविकांत एवं जिलाधिकारी देहरादून श्री आर. राजेश कुमार मौजूद थे।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

- All Apple Touch Phones & Tablets
- All Android Touch Phones & Tablets
- All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

Read News Watch News Channel

Scan This Code

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के. प्रिंटर्स, 74/9, आराधर, देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय:
शिवम मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।

(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं०
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।